न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

दौरानीन अधिकारी :–अपूर्वा परवाल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 27/2020

प्रार्थी :–

1. भंवरलाल पुत्र सुजाराम, जाति सुथार, उम्र–67, निवासी –गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर हाल निवासी मकान संख्या 85, रेलवे लाईन के पास, बलदेव नगर, मसूरिया, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गोदाराम पुत्र स्व. श्री सुजाराम, जाति सुथार, गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर हाल निवासी– मकान संख्या 63, ज्योति नगर, देवी रोड के पास, चांदणा भाखर, जोधपुर।
2. मिश्रीलाल पुत्र स्व. श्री सुजाराम, जाति सुथार, निवासी गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर हाल निवासी– मकान संख्या 63 ज्योति नगर, देवी रोड के पास चांदणा भाखर, जोधपुर।
3. बस्ताराम पुत्र स्व. श्री सुजाराम, जाति सुथार, निवासी– सुथारों का बास, गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
4. श्रीमती पुष्पा देवी पतनी श्री गणपतलाल, जाति– सुथार, निवासी गांव सरदारपुरा, वाया मण्डला, सोजत सिटी, जिला पाली।
5. मोहन पुत्र लाबुराम।
6. सोनकी पत्नी लाबुराम। (फौत)
7. घुन्नी पत्नी बुधाराम, तीनों जातियान जाट, निवासीगण– गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुरा
8. जोरिया पुत्र मांगीया।
9. भागीया पुत्र मांगीया
10. चन्दिया पुत्र मांगीया।
11. धनिया पुत्र मांगीया।
    सभी जाति सरगरा निवासीगण– गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
12. गवरी पत्नी किशनाराम,
13. फुसाराम पुत्र किशनाराम
14. कानाराम पुत्र किशनाराम
15. बाबूलाल पुत्र किशनाराम
16. चैनाराम पुत्र किशनाराम
17. गौमती देवी पुत्री किशनाराम
18. कमला पुत्री किशनाराम
19. तुलसी पुत्री किशनाराम
20. मुन्नी पुत्री किशनाराम
21. मोहनी पुत्री किशनाराम
    सभी जाति सुथार, निवासीगण– सुथारों का बास, गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

उपस्थिति :–

दिनांक 09/12/20

1. प्रार्थी वकील श्री रोशनलाल, श्री दिवाकर शर्मा
2. अप्रार्थी वकील श्री कानाराम गोदारा अप्रार्थीगण संख्या (1–4), अप्रार्थी वकील श्री बाबुलाल गोरा अप्रार्थीगण संख्या (5 व 7), अप्रार्थी वकील श्री दिनेश लोल बिरामी अप्राथीगण संख्या (8–10)

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:– प्रार्थी व अप्रार्थीगण अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 45 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा दोनों में कुल रकबा 81 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का आधा हिस्सा है तथा अन्य अप्रार्थीगण का आधा हिस्सा। उपरोक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के दादाजी श्री रावतराम के नाम से खातेदारी में दर्ज थी तथा उनके देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र सुजाराम का विवादित भूमि पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आया तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। विवादित भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उपरोक्त भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा है, उसी अनुसार विवादित भूमि के आधे हिस्से में 1/5 हिस्सा प्रत्येक का निहित हुआ तथा वर्ष 1995 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिताजी के देहान्त के पश्चात् उपरोक्त भूमि के आधे हिस्से में से स्व. सुजाराम जी के 1/5 हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को स्व. सुजाराम जी के हिस्से में से 1/5 हिस्सा (कुल भूमि का 1/50 हिस्सा) निहित हुआ। सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि के आधे हिस्से में से 6/25 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 6/25 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/25 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी के अनुसार बंट में आता है, जिसका आज दिनतक संयुक्त रूप से माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन नहीं होने से इसके लिए यह विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी सह खातेदारी की भूमि में से अपने हक व हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी है, जिसमें अप्रार्थीगण को दखल अन्दाजी का कोई अधिकार नहीं है तथा विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा, है जिस कारण किसी भी सह खातेदार को विशेष भू–भाग का बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये विशेष भू–भाग पर तथा हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा व निर्माण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य नहीं हुआ है तथा आपसी समझौते की कोशिश करवा लेने से भी अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद के लम्बित रहने तक विवादित भूमि खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 45 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा दोनों में कुल रकबा 81 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर में अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में न तो किसी तरह की दखलान्दाजी न तो स्वयं करें, अन्य किसी से करवाये तथा न भूमि का बेचान स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करवावें, न ही विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें तथा सम्पूर्ण विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्ति एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :– प्रार्थी ने राजस्व ग्राम मियासनी के खेत खसरा नम्बर 292 रकबा 36 बीघा के संदर्भ में वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बंटवाड़ा का पेश कर वादपत्र के पैरा 15 (2) के बंटवाड़े का अनुतोष चाहा गया है। खेत खसरा नम्बर 292 के सहखातेदार सुखाराम पुत्र रावतराम व गवरी पत्नी मंगलाराम को पक्षकार वाद पक्षकार नहीं बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के (4) –To every suit for the division of one or more than one holding all the Co-tenants and the land holder shall be made parties. प्रार्थी को धारा 53 (4) आर.टी. एक्ट की पालना में बिना वाद को दर्ज रजिस्टर करवाने का हक नहीं है वाद में त्रुटि है वाद दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर बिना कोई वाद में कार्यवाही किये दाखिल दफ्तर फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए अपना जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी ने हिस्सेदारी मनमाफिक इन्द्राज कर दी है वास्तविकता यह है कि स्व. सुजाराम की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 4/5 हिस्सा है। इस वाद में खातेदारी अधिकार पहले से ही निहीत होने से प्रार्थी अलग से खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है स्व. सुजाराम की जायदाद में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 4/5 वा हिस्सा है जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। प्रार्थी केवल विवाद करने का इच्छुक है बंटवाड़ा करवाने का इच्छुक नहीं है प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अतिरिक्त कथन और प्रार्थना कर निवेदन किया कि :– जमाबंदी गांव मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर के खाता संख्या नया 17 पुराना 13 में इन्द्राज हिस्सेदारी के खातेदारी खसरा नम्बर 292 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय में इन्द्राज खातेदार व हिस्सेदार इस प्रकार है :– किसनाराम पुत्र नैनाराम फौत नामान्तरकरण संख्या 421 के जरिये अप्रार्थी संख्या 12 से 21 गवरी, पुसाराम, कानाराम, बाबुलाल, चैनाराम, गोमतीदेवी, कमला, तुलसी, मुन्नी व मोहनी के नाम इन्द्राज है। सुजाराम पुत्र रावतराम फौत नामान्तरकरण संख्या 263 के जरिये प्रार्थी भंवरलाल, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 गोदाराम, मिश्रीलाल, बस्ताराम, फूसी (पुष्पादेवी) व नर्मदा पत्नी सुजाराम जिनका देहान्त हो गया है का नाम इन्द्राज है। सुखाराम पुत्र रावतराम जीवित है वाद में पक्षकार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 381 के जरिये आधे हिस्से का

हस्तान्तरण नाम गवरी पत्नि मंगलाराम जो में पक्षकार नहीं हैं। खसरा नम्बर 292 की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। 1/3 में से प्रार्थी का 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को 1/3 में से 4/5 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 12 से 21 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हैं और 1/3 हिस्से के खातेदार सुखाराम व गवरी संयुक्त रूप से हैं जिनको प्रार्थी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जमाबंदी गांव मियासनी, तहसील जोधपुर के खाता संख्या नया 116 पुराना 110 में इन्द्राज हिस्सेदारी के खातेदार संख्या 129 रकबा 45 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में इन्द्राज खातेदार व हिस्सेदारी इस प्रकार हैं :–

1/2 के हिस्सेदार :–
अप्रार्थी संख्या 5 से 11 मोहन पुत्र लाबूराम, सोनकी बेवा लाबुराम फौत (वारिस पहले से रेकर्ड पर हैं), चुन्नी बेवा बुधाराम, जोरिया, भगीया, चन्दीया, धनीया है।

1/2 के हिस्सेदार :–
सुजाराम पुत्र रावतराम फौत नामान्तकरण संख्या 394 के जरिये नर्बदा देवी फौत, प्रार्थी भंवरलाल, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 गोदाराम, मिश्रीलाल, बस्ताराम व पुष्पा है। प्रार्थी का इस खसरे की भूमि में 1/2 में से 1/5 की हिस्सेदारी है और अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 में 4/5 की हिस्सेदारी हैं।

अप्रार्थी संख्या 22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का बिरामी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मियासनी की जमाबंदी संवत 2059 से 2062 के खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 129 रकबा 45.00 बीघा दर्ज है। जिसमे मोहन पि. लाबुराम, चुनी पत्नी बुधाराम जाति जाट, जोरिया, भागीया, चनदीया, धनीया पि. मांगीया जाति सरगरा 1/2, सुजाराम पि. रावतराम जाति सुथार 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है। सुजाराम फोत के स्थान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 05.07.2015 को नर्मदादेवी पत्नी सुजाराम, भंवरलाल, गोदाराम, मिश्रीलाल, बस्तीराम पि0 सुजाराम व पुष्पा पुत्री सुजाराम जाति सुथार का नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की सत्यापति प्रति संलग्न है। खसरा नम्बर 292 रकबा 36.15 बीघा खाता संख्या 17 में किसनाराम पि. नेनाराम, सुजाराम पि. रावतराम, सुखाराम पि. रावतराम जाति सुथार का नाम दर्ज है। जरिये नामा. संख्या 263 दिनांक 20.11.2006 सुजाराम फोत के स्थान पर भंवरलाल, गोदाराम, मिश्रीलाल, बस्तीराम पि. सुजाराम, फुसी पुत्री सुजाराम, नर्मदा पुत्री सुजाराम जाति सुथार का नाम दर्ज है तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 421 किसनाराम पुत्र नेनाराम फोत के स्थान पर फुसाराम, करनाराम, बाबूलाल, चेनाराम, पि. किसनाराम, गोमतीदेवी, कमला, तुलसी, मुन्नी, मोहनी पुत्रिया किसनाराम जाति सुथार का नाम दर्ज है। जरिये नामा. संख्या 381 दिनांक 06.02.14 जरिये बखशीश नामा सुखाराम द्वारा गवरी पत्नि किशनाराम रकबा 06.02.10 बीघा जाति सुथार का दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत 2059–2062 की सत्य प्रतिलिपि व नक्शा लटठा की प्रति संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 5, 7 व अप्रार्थी संख्या 8 से 10 अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब नहीं पेश करना चाहा। अप्रार्थी संख्या 11 से 21 बाद तामिल भी उपस्थित नहीं। अतः उनका जवाब बन्द कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी संख्या 1 की ओर से मूल वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी लगाया जाकर सुखाराम पुत्र रावतराम व गवरी पत्नी मंगलाराम को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार जोड़ने हेतु निवेदन किया गया व प्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस संदर्भ में निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा सिर्फ अप्रार्थीगण 1 से 4 के विरूद्ध ही वांछनीय है जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में संशोधित वाद शीर्षक पेश नहीं करना चाहते। न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि में से विशेष भू–भाग व प्रार्थी का हिस्सा बेचान कर रहे है व हिस्से से अधिक भूमि पर व सड़क के हिस्से पर अधिक कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते है तथा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है। प्रार्थी सहखातेदारी की भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग– उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी व संयुक्त खातेदारी होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है जिस कारण से किसी भी सह–खातेदार को विशेष भू–भाग का बेचना करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अपने तर्क के सर्मथन में वकील प्रार्थी ने न्यायिक उद्धरण भी पेश किये :– Rajasthan High Court S.B. Civil Writ Petition No. 5457 PF 2010 Decided on 2nd Sept., 2011 " Megh Raj & Anr. Vs. Mst. Bali & Ors. Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 212- Temporary injunction Suit for partition-plaintiff is claming property in question to be ancestral Defendant failed to show that how a part of the land was self acquired Held, Order of granting injunction is upheld.

Code of Civil Procedure, 1908-Order 20, Rule 1 & 5- Expression "after the case has been heard" – Presiding officer who heard the final arguments, transferred-Successor Presiding Officer passed the order without hearing the argunments afresh & vacated the injunction order Held, Order set aside rightly by the RAA.

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में यह स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं करने दिया जा रहा व अप्रार्थी 1 से 4 विशेष भू–भाग का बेचान करने पर आमदा है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया व साथ में कथन किया कि अप्रार्थीगण रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा करवाने के लिए सहमत हैं जब तक बंटवाड़ा नहीं होता तब तक सम्पूर्ण भूमि पर सभी का अधिकार है। जब बंटवाड़ा होगा तभी हिस्सेदारी तय की जा सकती है। अतः प्रार्थी अस्थाई निषेज्ञाधा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं।

अप्रार्थी संख्या 5 व 7 वकील द्वारा बहस नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 8 से 10 वकील द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 से 4 में विवाद है। अप्रार्थी संख्या 8 से 10 बंटवाडा करने से सहमत है व अपने हिस्से की जमीन के अलावा अन्य किसी की भूमि पर कब्जा या कब्जा करने की कोशिश नहीं की है ना ही भूमि का बेचान किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 8 से 10 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पारित ना की जाए।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्व अभिलेख व कानूनी उद्धरण का अवलोकन किया व पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 ग्राम मियासनी पटवार क्षेत्र बिरामी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काकेलाव तहसील व जिला जोधपुर के अनुसार खेत खसरा नं. 292 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा किस्म में वादी, प्रतिवादी संख्या 1–4 ,नर्मदा पत्नी सुजाराम, 12–21, सुखाराम पि. रावतराम, गवरी पत्नी मंगलाराम के नाम इन्द्राज है व जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 ग्राम मियासनी पटवार क्षेत्र बिरामी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काकेलाव तहसील व जिला जोधपुर के अनुसार खेत खसरा नं. 129 रकबा 42 बीघा किस्म बारानी में वादी, प्रतिवादी संख्या 1–4 ,नर्मदा पत्नी सुजाराम, 5–7, 8–11 के नाम इन्द्राज है। अतः उक्त खसरों में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है व वादी द्वारा सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

वादी व प्रतिवादी की उक्त खसरों में हिस्सेदारी जमाबन्दी में निहीत है व रिकॉर्ड अनुसार मूल वाद के अन्तर्गत तय की जावेगी। वादी उक्त खसरों में मौके पर कितने हिस्से पर व किस भाग पर काबिज काश्त है यह स्पष्ट नहीं किया गया। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है जो वादी द्वारा भी स्वीकार किया गया। वादी द्वारा उक्त खसरो पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य किये जाने की बात को स्थापित नहीं किया गया ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया कि किस प्रकार का निर्माण कराया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक उद्धरण इस सम्बन्ध में लागु नहीं होते। अतः न्यायालय मौके से संबंधित कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना उचित नहीं मानता। सभी सह–खातेदार भूमि का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस में अप्रार्थीगण द्वारा कोई बेचान हस्तान्तरण ना करा ,जावे ऐसा अनुतोष भी मांगा है व दौराने बहस स्पष्ट किया है कि उक्त अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध ही वांछनीय है। इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि जब तक मूल वाद लम्बित रहता है व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की हिस्सेदारी तय नहीं हो जाती उस दौरान अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक–हिस्से से ज्यादा की भूमि का बेचान करने या किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को वाद लम्बित रहने तक विवादित भूमि का बेचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को वाद लम्बित रहने तक जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 खसरा नं. 129 रकबा 45 बीघा व जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 खसरा नं. 292 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 81 बीघा 15 बिस्वा ग्राम मियासनी, पटवार क्षेत्र बिरामी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काकेलाव तहसील व जिला जोधपुर से भूमि का बेचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। मौके पर सभी सह– खातेदार अपने हिस्से तक की भूमि पर काश्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 09/12/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर